

FOREST DEPARTMENT, GOVT. OF HARYANA

O/o Divisional Forest Officer (T), Panipat

Forest Complex, Assandh Road Panipat, Phone: 0180-2650331, E-mail :dfopanipat04@yahoo.co.in

क्रमांक :- 1184

दिनांक :- 27/8/2021

सेवा में :-

मुख्य वन संरक्षक,
मध्य परिमण्डल, रोहतक।

विषय : Diversion of 0.1157 Ha. for Urlana Kalan (Cat-2) Prov. Water House connection and Disty. Pipeline under JJM in Village Urlana Kalan, Tehsil Madlauda, Distt. Panipat.

Proposal No.FP/HR/Pipeline/145113/2021

Date of Proposal:- 22-07-2021

.....

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में विषयांकित प्रस्ताव में आपको सूचित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेंसी Executive Engineer, Public Health Engineering, Division No. 1, Panipat ने Gurudwara to Urlana Kalan Road Km. 0-3 L/Side. Tehsil Madlauda, Distt. Panipat पर Disty. Water Pipeline दबाये जाने है। निम्नहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 27-10-2021 को किये गये मौका निरीक्षण अनुसार उक्त केस प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा 0.1157 है0 वन भूमि का प्रयोग किया जाना है। उक्त प्रस्ताव में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम-1980 की उल्लंघना नहीं की गई है। उक्त प्रस्ताव में वन विभाग के कोई वृक्ष बाधक नहीं होते हैं। प्रस्तावित केस के बदले प्रतिपूर्ति पौधारोपण Tall Plants Scheme के अन्तर्गत कुल 100 प्लान्ट्स पुठर ड्रेन बांध गांव से काकोदा गांव तक बायें/दायें साईड पर करवाया जाएगा।

अतः आपसे उक्त केस भेजकर अनुरोध है कि उक्त केस पर आगामी आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
प्रस्ताव-ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।

पृष्ठ क्रमांक :- 1184-85

दिनांक :- 27/8/2021

इसकी एक प्रति-

1. Executive Engineer, Public Health Engineering, Division No. 1, Panipat on Gurudwara to Urlana Kalan Road Km. 0-3 L/Side. Tehsil Madlauda, Distt. Panipat को भेजकर सूचित किया जाता है कि विषयांकित केस वन संरक्षण अधिनियम 1980/2003 के तहत तैयार करके उच्चाधिकारियों को स्वीकृति हेतु भेज दिया गया है। जब तक इस केस की स्वीकृति भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय/उच्चाधिकारियों से प्राप्त नहीं होती तब तक वन विभाग की सुरक्षित वन भूमि का उपयोग न किया जाये।
2. वन राजिक अधिकारी, पानीपत को भेजते हुए निर्देश दिये जाते है कि प्रस्तावित केस की अनुमति प्राप्त होने तक वन भूमि का उपयोग न होने दिया जाये।

वन मण्डल अधिकारी,
Divisional Forest Officer
पानीपत।
Panipat

वन मण्डल अधिकारी,
Divisional Forest Officer
पानीपत।
Panipat